1.

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 124 / 2023

सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

फार्म – ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण। **उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।** **(निर्णय की तिथि–30.04.2026)** (सत्रवाद संख्या–124 / 2023, कम्प्यूटर निबंधन संख्या–72 / 2023, रामनगर थाना कांड संख्या–150 / 2018, जी0आर0 क्रमांक–615 / 2018 से उत्पन्न अपराधिक प्रकरण में न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा के उपार्पण आदेश दिनांक 23.01.2023 से यह सत्र प्रकरण उद्भूद हुआ है।)	
परिवादी / अभियोजक	**बिहार राज्य (द्वारा, मुन्ना यादव, पिता–ब्रम्हा यादव, साकिन–मेघवल मठिया, थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण।)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री प्रभु प्रसाद, विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	**(1) लालबाबु यादव, पिता–स्व. सीताराम यादव, उम्र लगभग–60 वर्ष,** **(2) मंटु यादव, पिता–लालबाबु यादव, उम्र लगभग–35 वर्ष,** **(3) सुरज यादव, पिता–लालबाबु यादव, उम्र लगभग–30 वर्ष,** **सभी निवासी ग्राम–मेघवल मठिया, थाना–रामनगर, जिला–पश्चिम चम्पारण।**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राकेश कुमार पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता

फार्म – बी

घटना की तिथि	16.05.2018
प्राथमिकी की तिथि	16.05.2018
आरोप–पत्र की तिथि	30.06.2018
आरोप गठन की तिथि	26.05.2023
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	19.07.2023
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	24.04.2026
निर्णय तिथि	30.04.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	**दोषमुक्त**

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएँ	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1.	लालबाबु यादव	29.05.2018	29.05.2018	धारा 341,323,325, 307,504,506, 34 भा.दं.वि.	दोषमुक्त	.....	.....

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 124 / 2023

सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

2.	मंटु यादव	29.05.2018	29.05.2018	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....
3.	सुरज यादव	29.05.2018	29.05.2018	उक्त	दोषमुक्त	.....	.....

–:निर्णयः–

1. प्रस्तुत प्रकरण में कुल तीन अभियुक्तों लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव का विचारण धारा 341,323,325,307,504,506 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोप हेतु किया गया।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक मुन्ना यादव द्वारा रामनगर थानाध्यक्ष के समक्ष दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर संस्थित इस काण्ड का अभियोजन कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक अपने घर पर मजदूर से ईज का काम करा रहा था तो समय करीब 04 बजे अपराह्न में उसके पट्टीदार लालबाबू यादव आया और काम करने से रोक दिया। सूचक द्वारा बोलने पर लालबाबू यादव अपने परिवार को बुलाकर बोले कि सभी शाले को मारकर बर्बाद कर दो। इतने पर सूरज यादव अपने हाथ में लिए फरसा से उसके उपर चला दिया जिससे उसका माथा कट गया और खून बहने लगा। सूचक के चिल्लाने पर उसकी पत्नी संध्या देवी तथा पिता दौड़कर आये तो उसे भी मंटु यादव बूरी तरह से मारा जिससे उसके दायां हाथ के अंगुली टूट गया तथा पेट पर चोट लगा। सूचक के पिता को दायां पैर में फरसा से मारा तो कट गया तथा मिस्त्री, मजदूर को मारपीट कर भगा दिया। लालबाबू यादव बोले कि साले सब को जान से मार दिया जाए क्योंकि हरदम परेशान करता है। दिवाल को तोड़–फोड़ कर बर्बाद कर दिया। गांव के लोग आये और बचाव किये। सूचक के पॉकेट से दो हजार रूपये किसी ने निकाल लिया।

   सूचक द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित आवेदन के आधार पर रामनगर थाना कांड संख्या–150 / 2018 दिनांक 16.05.2018, कुल तीन अभियुक्तगण लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव के विरूद्ध धारा 341,323,324,307,379,504,506,427 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

   अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए और सभी तीन प्राथमिकी अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–233 / 2018 दिनांक 30.06.2018, धारा 341,323,325,307,504,506 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया।

3. उक्त आरोप पत्र के आधार पर दिनांक 22.11.2018 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा द्वारा उक्त सभी तीन अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341,323,325,307,504, 506 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध कारित करने का संज्ञान लिया। दिनांक 23.01.2023 को सभी तीन अभियुक्तगण को न्यायालय अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी, बगहा द्वारा वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण सत्र न्यायालय,

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 124/2023

सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

बेतिया के समक्ष उपार्पित किया गया जिनके आदेश पश्चात् यह अभिलेख दिनांक 10.02.2023 को इस न्यायालय में विचारण और निराकरण हेतु प्राप्त हुआ।

4. प्रकरण के अभियुक्तगण लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव का तत्कालीन न्यायालय द्वारा दिनांक 26.05.2023 को धारा 341,323,325,307,504,506 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत आरोप विरचित कर उसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया तथा अभियुक्तगण का अभिवाक दर्ज किया गया। अभियुक्तगण द्वारा सभी आरोपों को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया गया।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 12.03.2026 को सभी तीन अभियुक्तगण लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव का धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण कर उसका कथन लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तों द्वारा मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का तथ्य प्रकट करते हुए अभियोजन साक्ष्य को अस्वीकार कर स्वयं को निर्दोष होने का दावा किया गया और बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया गया।

6. इस सत्र विचारण में न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोपों को युक्ति–युक्त ढ़ंग से संदेहों से परे साक्ष्य द्वारा साबित करने में सफल हुआ है अथवा नहीं ?

–:विनिश्चय (Finding):–

7. इस सत्र विचारण में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल दो (02) साक्षियों, अ0सा0–1 मुन्ना यादव (सूचक/जख्मी) एवं अ0सा0–2 संध्या देवी (जख्मी) का परीक्षण कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अ0सा0–1 के पहचान पर लिखित आवेदन पर उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श पी–1/अ0सा0–1 चिन्हित किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना यादव (सूचक/जख्मी)**, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि मैं इस केस का सूचक हूँ। घटना वर्ष 2018 की है। शाम के 3–4 बज रहा था। दिवाल खींचवाने को लेकर मेरा और मेरे पट्टीदार सूरज यादव वगैरह से झगड़ा–झंझट हो गया था जिसमें मुझे माथे पर चोट लगा था। मुझे किसने मारा, मैं नहीं देखा था। मेरी पत्नी का एक अंगुली टूट गया था तथा उसके पेट पर भी चोट लगा था। मेरे पिता ध्रुप यादव उर्फ ब्रह्मा यादव को लालबाबू मारे थे जिससे उनका पैर छिल गया था। मेरा ईलाज रामनगर सरकारी अस्पताल में हुआ था। घटना के आशय का लिखित आवेदन मैंने लिखवाकर थाना पर दिया था जिसपर मैंने अपना हस्ताक्षर (प्रदर्श पी–1/अ0सा0–1) बनाया था जिसे मैं पहचान करता हूँ। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मन्टू यादव की मैं पहचान करता हूँ।

बचाव पक्ष के समक्ष दिये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि सूरज, मंटू और लालबाबू यादव मेरे पट्टीदार है तथा रिश्ते में मेरे चचेरा भाई लगते हैं। मैं अपने

जमीन पर दिवाल खींचवा रहा था। मेरी पत्नी को कैसे चोट लगा था, मैं नहीं देखा था। मेरे पिता जी गिर गये थे जिसके कारण उन्हें चोट लगा था, उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था। जान मारने की नीयत से अभियुक्तगण नहीं आये थे। अभियुक्तगण के हाथ में कोई घातक हथियार भी नहीं था। मुकदमा में सुलह हो गया था तथा सुलहनामा पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचान करता हूँ। अभियुक्तगण हमलोगों के साथ मारपीट नहीं किये थे। आवेदन लिखने वाले ने आवेदन पढ़कर मुझे नहीं सुनाया था तथा बिना पढ़े ही मैं उसपर अपना हस्ताक्षर बना दिया था।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 संध्या देवी (जख्मी)**, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह साक्ष्य दिया है कि घटना आज से करीब 08 वर्ष पूर्व समय 08 बजे रात्रि की है। मुन्ना यादव का घर बन रहा था तो मेरे पट्टीदार लालबाबु यादव वगैरह रोकने आये तो झगड़ा हो गया जिसमें मैं झगड़ा छुड़ाने गयी तो मुझे चोट लग गया। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त लालबाबु यादव की मैं पहचान करती हूँ।

बचाव पक्ष के समक्ष दिये गये प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि मुकदमा में हमलोगों का अभियुक्तों के साथ राजी–खुशी से सुलह हो गया था। अभियुक्तगण हमलोगों के साथ मारपीट नहीं किये थे। धक्का–धुक्की में मैं जमीन पर गिर गयी जिससे मुझे चोट लगा था।

10. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित हुआ है अथवा नहीं।

11. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की ओर से परीक्षित सूचक सह जख्मी एवं अन्य जख्मी साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह तथ्य स्वीकृत किया है कि उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था। दोनों पक्षों में सुलह–समझौता हो गया है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराध से दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया है।

12. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के उक्त तर्क के आलोक में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी के साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

13. अभियोजन साक्षी संख्या–1 मुन्ना यादव इस प्रकरण के आहत सह सूचक साक्षी हैं, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त की पहचान करते हुए घटना का सारतः समर्थन किया गया है।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी द्वारा यह तथ्य स्वीकृत किया गया है कि मेरी पत्नी को कैसे चोट लगा था, मैं नहीं देखा था। मेरे पिता जी गिर गये थे जिसके कारण

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 124 / 2023

सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

उन्हें चोट लगा था, उनके साथ किसी ने मारपीट नहीं किया था। जान मारने की नीयत से अभियुक्तगण नहीं आये थे। अभियुक्तगण के हाथ में कोई घातक हथियार भी नहीं था। मुकदमा में सुलह हो गया था तथा सुलहनामा पर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचान करता हूँ। अभियुक्तगण हमलोगों के साथ मारपीट नहीं किये थे। आवेदन लिखने वाले ने आवेदन पढ़कर मुझे नहीं सुनाया था तथा बिना पढ़े ही मैं उसपर अपना हस्ताक्षर बना दिया था।

14. अभियोजन साक्षी संख्या–2 संध्या देवी इस प्रकरण के आहत साक्षी हैं, उनके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त की पहचान करते हुए घटना का सारतः समर्थन किया गया है।

परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान इस साक्षी द्वारा यह तथ्य स्वीकृत किया गया है कि अभियुक्तगण हमलोगों के साथ मारपीट नहीं किये थे। धक्का–धुक्की में मैं जमीन पर गिर गयी जिससे मुझे चोट लगा था।

इस प्रकार सूचक सह जख्मी एवं एक अन्य जख्मी साक्षी के प्रतिपरीक्षण में की गयी उपरोक्त स्वीकृतियों से अभियोजन पक्ष के मामले को प्रमाणित करने हेतु प्रमाणक बल रखने वाला साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हुआ है।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष आहत के चिकित्सा करने वाले चिकित्सक और अन्वेषण अधिकारी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी के उपरोक्त वर्णित साक्ष्य विश्लेषण से अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का अपराध कारित किये जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

ऐसी दशा में उपरोक्त वर्णित समस्त परिस्थितियों के समुच्चय से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्तगण संदेह का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

16. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। इसी प्रकार आपराधिक विधि का यह भी सिद्धांत है कि युक्ति–युक्त संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त का दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त विधिक सिद्धांत तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ''राजेन्द्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार'' (AIR 1977 SC 965) में प्रतिपादित सिद्धांत के प्रकाश में इस सत्र प्रकरण के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य सामग्री की समीक्षा के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

अतः अभियुक्तगण लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341,323,325,307,504,506 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

6.

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।</u>

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

<u>सत्रवाद संख्या – 124 / 2023</u>

<u>सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह</u>

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

अभियुक्तगण लालबाबु यादव, मंटु यादव और सुरज यादव इस मामले में पूर्व से जमानत पर हैं, उन्हें और उनके जमानदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित हस्ताक्षरित शुद्धित
एवं खुले न्याालय में उद्घोषित।

Sd/-
(मनीष द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–30.04.2026

Sd/-
(मनीष द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–30.04.2026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

उपस्थिति–मनीष द्विवेदी, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, बगहा, पश्चिम चम्पारण।

सत्रवाद संख्या – 124/2023

सरकार बनाम लालबाबु यादव वगैरह

(निर्णय की तिथि – 30.04.2026)

फार्म – सी

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :–

क्र.सं.	नाम	प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	मुन्ना यादव	सूचक/आहत साक्षी
अ.सा. 2	संध्या देवी	आहत साक्षी

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	नाम	प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
ब.प.सा. 1	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	नाम	प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी व अन्य साक्षी)
न्या.सा. 1	कोई नहीं	

अभियोजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची

अ. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	वर्णन
1.	प्रदर्श पी–1/पी.डब्लू 1	लिखित आवेदन पर पी.डब्लू–1 के हस्ताक्षर को

ब. बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	वर्णन
1.	कोई नहीं	

स. न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	वर्णन
	कोई नहीं	

द. वस्तु प्रदर्श की सूची :– (यदि कोई)

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	वर्णन
	कोई नहीं	

Sd/-

(मनीष द्विवेदी)
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
बगहा, पश्चिम चम्पारण।
दिनांकः–30.04.2026